

16/10/24

वकील प्रार्थ द्वारा निवेदन करने पर पत्रावली आज सुनवाई पर ली गई। वकील प्रार्थ ने प्रकरण में Not Press किया। यदि वकील प्रार्थ प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं अतः पत्रावली Not Press में धारिज की जाती है। पत्रावली किसल शुमार लेकर नम्बर से कम है।

NOT
PRESS

16/10/24



3

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली